(26)

निग0 5723/2018/ सतना/भू-रा0

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0

प्रकरण क0 ....

लक्ष्मण प्रसाद साकेत तनय श्री मदारी साकेत निवासी ग्राम धोवहट तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

——निगरानीकर्ता / आवेदक

बनाम

1– रावेन्द्र शर्मा तनय स्व0 श्री रामजियावन (मृतक) वारिसानः–

2– श्यामकली पयासी पत्नी स्व0 रावेन्द्र शर्मा उम्र लगभग 30 वर्ष पेशा घरूकार्य, निवासी ग्राम धोवहट तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

2– श्रीमती संजू पयासी पुत्री स्व0 रावेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम परसिया तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

3– शैलेश कुमार पयासी तनय स्व0 रामजियावन प्रयासी निवासी ग्राम धोवहट तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

4– शैलेन्द्र कुमार पयासी तनय स्व0 रामजियावन प्रयासी निवासी ग्राम धोवहट तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 ——गैर निगराकारगण / अनावेदकगण

अधि0 श्री सत्येन्द्र सिंह द्वारा पेश 19.9.18

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू रा0 सं0 1959 विरूद्ध आदेश अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा लिंक कोर्ट सतना/सीधी म0प्र0 (श्री कुलेश सिंह भगत) के द्वितीय अपील प्रकरण कमांक 574/अपील13–14 में पारित आदेश, दिनांक 12/09/2018

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि निगराकार ग्राम धोवहट थाना ताला तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 का निवासी है, निगराकार के भूमि में जाने व गॉव के निस्तार मुर्जुआ नाला (नदी) में जाने व आम जनता के आने जाने व मावेसियों को पनी पिलाने हेतु ले जाने के

(26)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0–5723/2018/सतना/भू–रा0 जिला–सतना

लक्ष्मण प्रसाद साकेत/ रावेन्द्र शर्मा

(1)	(2)	(3)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री सत्येन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 574/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 12.09.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 19.09.18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	